कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी

संख्याः /पी0जी0 प्रवेश/2023–2024/एस0सी0–1 दिनॉकः 07-8-2023

आवश्यक निर्देश

नीट पी0जी0–2023 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 5711–से–14/–286/91 दिनॉक 5–8–96 एवं महानिदेशक के पत्र संख्या एमई/पीजी–जन0–96/1887–93 दिनॉक 9–9–96 के अधीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से डिग्री के लिए तीन वर्ष व डिप्लोमा के लिए दो वर्ष की अवधि के लिये जूनियर रेजीडेन्ट प्रथम वर्ष के पद पर अनन्तिम रुप से नियुक्त किया जायेगा ।

इन्हे काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रवेश एवं कार्यभार ग्रहण करना होगा। समय पर प्रवेश न लेने एवं कार्य भार ग्रहण न करने पर इनका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने पर इन्हे पीजी रेजीडेन्सी योजना से संबंधित शासनादेश सं0 65/2019/2625/71–1–2019–जी–71/2011टी0सी0 लखनऊ दिनॉक 16 अक्टूबर, 2019 एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते आदि अनुमन्य होगें।

भासन के आदे�ानुसार प्रवे�ा के उपरान्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पूर्व त्याग पत्र देने पर छात्र को रु0 पाँच लाख का बाण्ड महानिदे�ाक चिकित्सा ि�ाक्षा एवं प्रि�ाक्षण उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में 100/– रु0 के स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा एवं छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त राजकीय क्षेत्र में दो वर्श की अनिवार्य सेवा करने समबन्धी बाण्ड प्रथक से रु0 100/– के स्टाम्प पेपर पर डिग्री छात्रों को रु0 चालीस लाख एवं डिप्लोमा छात्रों को रु0 बीस लाख का जमा करना होगा।

पी0जी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने की तिथि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन0एम0सी0) द्वारा प्राप्त होते ही सूचित कर दिया जायेगा। डिग्री छात्रों को थीसिस प्रोफार्मा दिनॉक **30–04–2024** तक एवं थीसिस दिनॉक **31–10–2024** तक जमा करना होगा। एन0एम0सी0 के Post Graguation Regulation 2000 के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक छः माह की अवधि में 80 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है, छात्रो को एन0एम0सी0 एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी द्वारा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत नियमावली अध्यादेश, नियम व उपनियम मान्य होंगे। रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत जारी आदेश के अनुसार अवकाश देय होगे। अभ्यर्थियों को परीक्षाफल घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रावास रिक्त करना होगा अन्यथा दण्डात्मक शुल्क लिया जायेगा ।

नियुक्ति एवं पाठ्यकम संबंधी किसी प्रकार का वाद उच्च न्यायालय लखनऊ के अधीन होगा। प्रवेश लेने के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी दो स्वः प्रमाणित/प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

1– आवंटन पत्र
2– आरक्षित वर्ग का वैद्य प्रमाण पत्र। (लागू होन की दशा में)
3– उप श्रेणी का प्रमाण पत्र (लागू होने की दशा)।
4– प्रवेश पत्र।
5– PGNEET- 2023 Rank letter
6– PGNEET- 2023 Entrance Examination Result
7– आई0डी0कार्ड (Identification Card)
8– हाई स्कूल अंकतालिका एवं हाई स्कूल प्रमाण पत्र
9– इन्टरमीडिएट अंकतालिका एवं इन्टरमीडिएट प्रमाण पत्र।
10– एमबीबीएस सभी प्रोफेशनल परीक्षा की अंकतालिकायें।
11– इन्टर्नशिप कम्पलीशन प्रमाण पत्र।
12– एमबीबीएस उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
13– एम0बी0बी0एस0 उपाधि प्रमाण पत्र।
14– निवास प्रमाण पत्र।
15– उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल/एन0सी0आई0 का पंजीयन प्रमाण पत्र।
16– रजिस्ट्रेशन स्लिप एवं सिक्योरिटी स्लिप।
17– प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)
18– कार्यमुक्त प्रमाण पत्र (अनापत्ति प्रमाण पत्र) यदि कार्यरत हों (पी0एच0एम0एस0 इत्यादि)।
19– 08 (आठ) फोटो (4 फार्म हेतु एवं 04 अलग से)
20– बाण्ड रु 5,00,000–00 (पाँच लाख मात्र) निर्धारित प्रारुप पर (रुपये 100 के स्टाम्प पर)।
21– बाण्ड रु 40,लाख/20 लाख निर्धारित प्रारुप पर (रुपये 100 के स्टाम्प पर)।
22– एन्टीरैगिंग सम्बन्धी छात्र एवं पिता का अलग–अलग 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र। (Annexure-P-10 एवं 11 पर) एवं शपथ पथ प्रारुप (Annexure-P-12) 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथपत्र। (एन0एम0सी0 नियमावली बेवसाइट पर उपलब्ध है)।
23– प्रवेश आदि शुल्क सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए रु0 42,000/–(रु0 बयालीस हजार मात्र) एवं आरक्षित वर्ग के लिए रु0 30,000/– (रु0 तीस हजार मात्र) प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवा कर देना होगा। मिसलेनियस चार्ज रु0 1000/– (रु0 एक हजार मात्र) सहायक परीक्षा अधीक्षक के खाता संख्या– 10671331230 एस0बी0आई0 बैक में जमा होगा।
24– हिपैटाइटिस बी बैक्सीनेशन प्रमाण पत्र।

<u>अतिरिक्त जानकारी के लिए कार्यालय का नं0 0510–2320858 एवं बेवसाइट www.mlbmcj.in है।</u>

<u>ज्वानिंग के समय प्रस्तुत करने हेतु–</u>

01– सीएमओ/सीएमएस, जिला चिकित्सालय, झाँसी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र।
02– कार्यमुक्त प्रमाण पत्र यदि कार्यरत् हो/पी0एम0एस0एच0 से चयनित अभ्यर्थी।
03– पैन कार्ड की प्रतिलिपि 04– आधार कार्ड की प्रतिलिपि 05– बैंक खाते के विवरण की प्रतिलिपि।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या 2798 /पी0जी0 प्रवेश/2023–2024/एस0सी0–1 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु।
2– समस्त, विभागाध्यक्ष मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
3– नोटिस बोर्ड कॉलेज
4– कैरियर मेडिकल कॉलेज झाँसी।
5– प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
6– आशुलिपिक, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज झाँसी।

To, DVS Technology

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, झाँसी।

Scanned with OKEN Scanner